

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक**  
पीठासीन अधिकारी—

डॉ. सूरज सिंह नेगी

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर  
22/2012 प्रा.पत्र/2012

तारीख दायरा  
20.07.2012

तारीख निर्णय  
07.02.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामगोपाल गुप्ता मैसर्स राम गोपाल विष्णु कुमार माणक  
चौक सिरस तहसील निवाई जिला टोंक निवासी माणक चौक सिरस तहसील निवाई जिला  
टोंक

2—मैसर्स राम गोपाल विष्णु कुमार माणक चौक सिरस तहसील निवाई जिला टोंक

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप  
धारा 2(iv) एवं दण्डनीय धारा 58

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अप्रार्थी स्वयं व उनके अभिभाषक श्री उम्मेद सिंह सोलंकी उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 07.02.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
दिनांक 04.03.2012 को समय 04:25 पीएम पर मैसर्स राजलक्ष्मी डिपार्टमेंटल स्टोर चन्दा  
टोंकीज के सामने टोंक रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री विष्णु कुमार गुप्ता  
पुत्र श्री रामगोपाल गुप्ता मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री  
विष्णु कुमार गुप्ता ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा  
बिक्री प्रपत्र मांगे जाने खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि  
प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक के एक कट्टे  
में लगभग 20 किलोग्राम हल्दी पावडर हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम  
2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री  
विष्णु कुमार गुप्ता को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित  
कर प्रतियों में विक्रेता श्री विष्णु कुमार गुप्ता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने  
स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर  
विक्रेता को बताकर कि यह हल्दी पावडर वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 2  
विक्रेता को खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।



1837

प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा हल्दी पावडर 2 किलोग्राम को चार साफ व सूखी प्लास्टिक की थैलियों में बराबर-बराबर भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-268 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-268 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./12/1395 दिनांक 17.04.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./324/एफएसएसए/2012/320 दिनांक 22.03.2012 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया हल्दी पावडर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री विष्णु कुमार गुप्ता एवं उनके अभिभाषक श्री उम्मेद सिंह सोलंकी उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। मात्र खुले में विक्रय करने के कारण उक्त नमूना कॉन्ट्रावेन स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस हल्दी पावडर का विक्रय कर रहे थे वह जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया हल्दी पावडर का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र




1838

भतिरेक्त जिला माजस्ट्रट  
टोक

प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 8,000/- (अक्षर आठ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 07.02.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



  
(डॉ. सूरज सिंह नेगी)  
न्याय निर्णय को अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0